

## केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दशा-नरिदेश-2022

### प्रलिस के लयः

केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दशा-नरिदेश, न्यायालय की अवमानना, मानहानि

### मेन्स के लयः

मीडिया और लोकतंत्र की स्वतंत्रता, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दशा-नरिदेश-2022 जारी कयः गए हैं ।

- मान्यता देने के लयःआवेदनों की जांच डीजी, पीआईबी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय प्रेस प्रत्यायन समतिः द्वारा की जाती है ।
- इस समय देश में पीआईबी द्वारा मान्यता प्राप्त 2,457 पत्रकार हैं ।

## प्रमुख बडु

### दशा-नरिदेशों के तहत प्रावधानः

- प्रत्यायन वापस लेने/नलिंबति करने से संबंथति प्रावधानः**
  - यदः कोई पत्रकार देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता, वडिशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था के लयः गलत तरीके से कार्य करता है या उस पर गंभीर संज्ञेय अपराध का आरोप है ।
  - यदः उसका कार्य शालीनता या नैतिकता के प्रतिकूल है या अदालत की अवमानना, मानहानियाः कसिी अपराध हेतु उकसाने से संबंथति है ।
    - मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को सार्वजनिक/सोशल मीडिया प्रोफाइल, वजिटिगि कार्डस, लेटर हेडस या कसिी अन्य फॉर्म या कसिी भी प्रकाशति सामग्री पर "भारत सरकार से मान्यता प्राप्त" शब्द का उपयोग करने से प्रतबिंधति करना ।
- प्रत्यायन प्रदान करने से संबंथति प्रावधानः**
  - प्रत्यायन केवल दलिली एनसीआर क्षेत्र के पत्रकारों के लयः ही उपलब्ध है जसिकी कई श्रेणियों हैं ।
  - एक पत्रकार को पूर्णकालिक पत्रकार या समाचार संगठन में एक कैमरापर्सन के रूप में न्यूनतम पाँच वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहयिः या पात्र बनने के लयः फरीलांसर के रूप में न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहयिः ।
    - 30 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले और 65 वर्ष से अधिक आयु के वयोवृद्ध पत्रकार भी पात्र हैं ।
  - एक समाचार पत्र या पत्रकिा के लयः न्यूनतम दैनिक संचलन 10,000 होना चाहयिः और समाचार एजेंसियों के पास कम-से-कम 100 ग्राहक होने चाहयिः । वडिशी समाचार संगठनों और वडिशी पत्रकारों पर भी इसी तरह के नयिम लागू होते हैं ।
  - डजिटिल समाचार प्लेटफॉर्मों के साथ काम करने वाले पत्रकार भी पात्र हैं, बशरते वेबसाइट पर प्रतमिाह न्यूनतम 10 लाख वशिषिट वजिटिर होने चाहयिः ।
  - वडिशी समाचार मीडिया संगठनों के लयः काम करने वाले स्वतंत्र पत्रकारों को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी ।
- केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन समतिः (CMAC):**
  - सरकार 'केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन समतिः' नामक एक समतिः का गठन करेगी ।
  - इस समतिः की अध्यक्षता प्रधान महानडिशक, प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) द्वारा की जाएगी और इसका समतिः का गठन दशा-नरिदेशों के तहत नरिधारति कार्यों के नरिवहन हेतु सरकार द्वारा नामतिः 25 सदस्यों को शामिल कर कयः जाएगा ।
  - 'केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन समतिः' अपनी पहली बैठक की तारीख से दो वर्ष की अवधः के लयः कार्य करेगी और यदः आवश्यक हो तो तमिाही में एक बार या अधिक बार बैठक करेगी ।

## संबंथति चतिःः

- एक पत्रकार के प्रत्यायन को नलिंबति या वापस लया जाना चाहयि या नही, यह तय करते समय भारत की संप्रभुता या अखंडता के लयि क्य़ा यह प्रतकूल है, इसका आकलन करने हेतु दशिया-नरिदेश सरकार द्वारा नामति अधकारियी के वविक पर छोड़ दयि गए हैं।
  - पत्रकार की मुख्य ज़मिमेदारियी में से एक गलत कार्य को उज़ागर करना है, चाहे वह सार्वजनकि अधकारियी, राजनेताओं, बड़े व्यापारियी, कॉर्पोरेट समूहों या सत्ता में बैठे अधकारियी द्वारा क्यी न कयिा गया हो।
  - इसका परिणाम कई बार ऐसी शक्तियी द्वारा पत्रकारों को डराना या सूचना को बाहर आने से रोकना हो सकता है।
- पत्रकार अकसर उन मुद्दों और नीतगित फैसलों पर रपिर्टगि करते हैं जो सरकार के वरिद्ध होते हैं।
- संवेदनशील मुद्दों पर कसिी भी प्रकार के मामले को इनमें से कसिी भी प्रावधान का उल्लंघन माना जा सकता है।

## प्रत्यायन कैसे मदद करता है?

- महत्त्वपूर्ण परसिर से रपिर्ट करने की अनुमति:
  - कुछ आयोजनों में जहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ती भौजूद होते हैं, वहाँ केवल मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ही परसिर से रपिर्ट करने की अनुमति होती है।
- पहचान की रक्षा में मदद:
  - दूसरा, प्रत्यायन यह सुनिश्चति करती है कि एक पत्रकार अपने स्रोतों की पहचान की रक्षा करने में सक्षम है।
    - एक प्रत्यायन प्राप्त पत्रकार को यह खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है कि वह केंद्रीय मंत्रालयों के कार्यालयों में प्रवेश करते समय कसिसे मलिना चाहता है, क्यीकि प्रत्यायन कार्ड गृह मंत्रालय के सुरक्षा क्षेत्र के तहत भवनों में प्रवेश के लयि मान्य होता है।
- पत्रकार को लाभ:
  - प्रत्यायन से पत्रकार और उसके परिवार को कुछ लाभ मलिते हैं, जैसे- केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना में शामिल होना और रेलवे टकिट पर कुछ रयियतें मलिना।

## प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधति संवैधानकि प्रावधान:

- संवधान, अनुच्छेद 19 के तहत वाक् एवं अभवियक्ती की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो वाक् स्वतंत्रता इत्यादिके संबंध में कुछ अधकारों के संरक्षण से संबंधति है।
- प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षति नहीं कयिा गया है, लेकिन यह संवधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के तहत संरक्षति है, जसिमें कहा गया है- "सभी नागरिकों को वाक् एवं अभवियक्ती की स्वतंत्रता का अधकार होगा"।
  - हालाँकि प्रेस की स्वतंत्रता भी असीमति नहीं होती है। कानून इस अधकार के प्रयोग पर प्रतबिधों को लागू कर सकता है, जो अनुच्छेद 19 (2) के तहत इस प्रकार हैं-
    - भारत की संप्रभुता और अखंडता के हतिों से संबंधति मामले, राज्य की सुरक्षा, वदिशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनकि व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या न्यायालय की अवमानना के संबंध में मानहानि या अपराध को प्रोत्साहन।

## स्रोत- द हट्टि